सत्र वाद सं0– 667/2018+773/2018
कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या–**264**/2011
राज्य बनाम् पप्पू यादव व अठारह अन्य
निर्णय दिनांक–27.05.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

निर्णय दिनांक – 27.05.2026

सत्र वाद सं0– 667/2018+773/2018

कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या–264/2011

अंतर्गत धारा – 147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।

निबंधन संख्या – 667/2018+773/2018

बिहार राज्य द्वारा सूचक सूर्य नारायण सिंह, साकिन–बभनगामा, थाना–कहलगॉव जिला–भागलपुर...**सूचक**
अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री काशीनाथ मिश्रा।

बनाम्

1. कमलेश्वर यादव, उम्र–64 वर्ष, पिता स्वर्गीय शिव पूजन यादव,
2. सिंकदर यादव, उम्र–55 वर्ष, पिता–स्वर्गीय शिव पूजन यादव,
3. राजेन्द्र यादव, उम्र–62 वर्ष, पिता–स्वर्गीय लखराज यादव,
4. पप्पू यादव, उम्र–33 वर्ष, पिता–स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद यादव,
5. पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, उम्र–34 वर्ष, पिता–श्री वैजनाथ यादव,
6. रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, उम्र–42 वर्ष, स्वर्गीय नूटेश्वर यादव,
7. पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, उम्र–33 वर्ष, पिता–श्री वैजनाथ यादव,
8. हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, उम्र–42 वर्ष, पिता–श्री वैजनाथ यादव,
9. ओम प्रकाश यादव, उम्र–50 वर्ष, पिता–स्वर्गीय भभीखन यादव,
10. कुंदन यादव, उम्र–36 वर्ष, पिता–स्वर्गीय भवचन यादव,
11. अनंत यादव, उम्र–45 वर्ष, पिता–श्री बासुदेव यादव,
12. बूची यादव, उम्र–48 वर्ष, पिता–स्वर्गीय राज किशोर यादव,
13. मुकेश यादव, उम्र–36 वर्ष, पिता–श्री सिपाही यादव,
14. हरि मोहन सिंह, उम्र–45 वर्ष, पिता–स्वर्गीय राम कुमार सिंह,
15. कृष्ण मोहन सिंह, उम्र–52 वर्ष, पिता–स्वर्गीय शिव कुमार सिंह,
16. मनमोहन सिंह, उम्र–51 वर्ष, पिता–स्वर्गीय राम कुमार सिंह,
17. बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव, उम्र–91 वर्ष, पिता–स्वर्गीय पतिराम यादव,
18. छट्टू यादव, उम्र–37 वर्ष, पिता–श्री वासुदेव यादव,
19. रामवचन यादव, उम्र–71 वर्ष, पिता–स्वर्गीय कपेश्वर यादव, सभी सा0–बभनगामा, थाना–शिवनारायणपुर, जिला–भागलपुर।...**अभियुक्तगण**

सत्र वाद सं0– 667/2018+773/2018
कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड
संख्या–**264**/2011
राज्य बनाम् पप्पू यादव व अठारह अन्य
निर्णय दिनांक–27.05.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री आर0 के0 रतन।
श्री आशीष कुमार सिंह।
श्री अरूण कुमार।
श्री जय प्रकाश यादव वियास

घटना की तिथि	17.07.2011
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	17.07.2011
आरोप पत्र की तिथि	13.12.2014
आरोप गठन की तिथि	22.11.2022 तथा 20.06.2023
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	12.07.2023
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	22.05.2026
निर्णय की तिथि	27.05.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	

सत्र वाद सं0– 667/2018+773/2018
कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड
संख्या–**264**/2011
राज्य बनाम् पप्पू यादव व अठारह अन्य
निर्णय दिनांक–27.05.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	कमलेश्वर यादव	–	–	147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
2.	सिकंदर यादव	–	–	147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
3.	राजेन्द्र यादव	–	–	147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
4.	पप्पू यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
5.	पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
6.	रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
7.	पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27	दोषमुक्त	–	–

				आर्म्स एक्ट।			
8.	हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
9.	ओम प्रकाश यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
10.	कुंदन यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
11.	अनंत यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
12.	बूची यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
13.	मुकेश यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
14.	हरि मोहन सिंह			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
15.	कृष्ण मोहन			147, 148, 149,	दोषमुक्त	–	–

सत्र वाद सं0– 667 / 2018+773 / 2018
कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड
संख्या–**264** / 2011
राज्य बनाम् पप्पू यादव व अठारह अन्य
निर्णय दिनांक–27.05.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

	सिंह			341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।			
16.	मनमोहन सिंह			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
17.	बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
18.	छट्टू यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–
19.	रामवचन यादव			147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट।	दोषमुक्त	–	–

क. अभियोजन गवाह :–

क्रम सं0	**गवाह का नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)**
PW1	आशीष कुमार सिंह	–
PW2	राजीव कुमार सिंह	–
PW3	बिनोद कुमार सिंह	–
PW4	सूर्य नारायण सिंह	सूचक
PW5	संत कुमार सिंह	–
PW6	श्याम कुमार सिंह	–

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह,

सत्र वाद सं0– 667/2018+773/2018
कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड
संख्या–**264**/2011
राज्य बनाम् पप्पू यादव व अठारह अन्य
निर्णय दिनांक–27.05.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

		विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

अभियोजन प्रदर्श :– शून्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	P-1/PW4	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

बचाव पक्ष प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
	शून्य	

न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
	शून्य	

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण कमलेश्वर यादव, सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह, बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव, छट्टू यादव, रामवचन यादव का विचारण भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के आरोपों के लिए किया गया है कि दिनांक 17.07.2011 को करीब 9.30 बजे दिन में जब सूचक मजदूर के साथ ग्रामीण सड़क ठीक करवा रहे थे तभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण करीब 150 की संख्या में बंदूक कट्टा से लैश होकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मजदूर को भगा दिया। रणधीर यादव, ओम प्रकाश यादव, पिंटू यादव, छट्ठा यादव देशी बंदूक से जान मारने के नीयत से फायर किए जिससे हमारे नाक के उपर बॉये हाथ की तलहथी में एवं चार आदमी को छर्रा लगा। अनंत यादव मेरा मोबाईल कीमत मो0 8000/– पप्पू यादव चश्मा, प्रकाश यादव सोने का चैन 40 ग्राम छिन लिए।

2. सूचक सूर्य नारायण सिंह के द्वारा दिनांक–17.07.2011 को लिखित आवेदन दिया गया जिसके आधार पर कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या–264/2011 दिनांक–17.07.2011 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। लिखित आवेदन के

आलोक में अभियोजन का संक्षेप में वाद यह है कि दिनांक 17.07.2011 को करीब 9.30 बजे दिन में जब सूचक मजदूर के साथ ग्रामीण सड़क ठीक करवा रहे थे तभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण करीब 150 की संख्या में बंदूक कट्टा से लैश होकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मजदूर को भगा दिया। रणधीर यादव, ओम प्रकाश यादव, पिंटू यादव, छट्ठा यादव देशी बंदूक से जान मारने के नीयत से फायर किए जिससे हमारे नाक के उपर बॉये हाथ की तलहथी में एवं चार आदमी को छर्रा लगा। अनंत यादव मेरा मोबाईल कीमत मो0 8000/– पप्पू यादव चश्मा, प्रकाश यादव सोने का चैन 40 ग्राम छिन लिए।

3. अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी नामित अभियुक्त कमलेश्वर यादव, सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह, बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव, छट्टू यादव, रामवचन यादव के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–71/2014 दिनांक–13.12.2014 को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपराध का संज्ञान दिनांक 15.12.2014 तथा 27.11.2017 को लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-XIII, भागलपुर द्वारा दिनांक 07.10.2017 को उपस्थित अभियुक्तों के विरूद्ध वाद को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। स्थानांतरण के क्रम में अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्त सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर यादव, रामवचन यादव तथा छट्टू यादव को भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307 तथा 27 आर्म्स एक्ट के आरोपों के लिए दिनांक 20.06.2023 को तथा अभियुक्त पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह तथा बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव को भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 तथा 27 आर्म्स एक्ट के आरोपों के लिए दिनांक 22.11.2022 को आरोप गठन करके हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्तों द्वारा इंकार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् अभियुक्त कमलेश्वर यादव, सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह, बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव, छट्टू यादव तथा रामवचन यादव का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया जिसमें उन्होंने स्वंय को निर्दोष बताया है तथा कहा है कि झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई

में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन के तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल छह साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–01 आशीष कुमार सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–02 राजीव कुमार सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–03 बिनोद कुमार सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–04 सूर्य नारायण सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–05 संत कुमार सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–06 श्याम कुमार सिंह

8. अभियोजन के उपर यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करे। इस परिपेक्ष्य में **साक्षी सं0–1 आशीष कुमार सिंह** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना दिनांक 17.07.2011 के सुबह के नौ बजे की है। मैं घटनास्थल पर था। हमलोग के गॉव जाने के रास्तें में गढ्ढा हो गया था जिसको हमलोग भरवा रहे थे, इसी बीच में 150–200 आदमी अचानक ईटा–पत्थर, गोली–बंदूक लेकर आए और चलाने लगे जिसमें सूचक सूर्य नारायण सिंह को चोट लगी, उसके बाद भगदड़ मच गया और सभी लोग तितर–बितर हो गए। उसके बाद हमलोग भी भाग गए। मैं भगदड़ में किसी को देख नहीं पाया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हूॅ, क्योंकि सभी मेरे ग्रामीण है।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–2 राजीव कुमार सिंह** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना दिनांक 17.07.2011 के सुबह करीब नौ बजे की है। मैं घटनास्थल पर था। हमलोगों के गॉव आने–जाने वाले रास्तें में गढ्ढा हो गया था जिसको अन्य ग्रामीणों के सहयोग से हमलोग भरवा रहे थे, इसी बीच में 150–200 के करीब आदमी अचानक ईटा–पत्थर, गोली–बंदूक वगैरह लेकर आ गए और ईटा–पत्थर, गोली–बंदूक फेकने–चलाने लगे जिसमें सूचक सूर्य नारायण सिंह को चोट लगी, उसके बाद भगदड़ मच गया और सभी लोग इधर–उधर भाग गए। उसके बाद हमलोग भी अपनी जान बचाकर भाग गए। मैं भगदड़ हो जाने के कारण किसी को देख नहीं पाया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हूॅ, क्योंकि सभी मेरे ग्रामीण है।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–3 बिनोद कुमार सिंह** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह केस सूर्य नारायण सिंह ने दिनांक 17.07.2011 की घटना के कारण किया है। घटना समय करीब नौ बजे सुबह की है। मैं घटनास्थल पर था। हमलोगों के गॉव आने–जाने वाले रास्तें में गढ्ढा हो गया था जिसको अपने ग्रामीणों के सहयोग से हमलोग भरवा रहे थे, इसी बीच में

100–150 के करीब आदमी अचानक ईट–पत्थर, गोली, बंदूक लेकर आ गए और गोली चलाने लगे जिस कारण काफी भगदड़ हो गया और उसी भगदड़ में इस केस के सूचक सूर्य नारायण जी को चोट लगी, सभी लोग इधर–उधर भागने लगे थे, मैं भी वहॉ से अपनी जान बचाकर भाग गया था। भगदड़ हो जाने के कारण मैं किसी को देख नहीं पाया जिसने गोली व ईट–पत्थर चलाया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हूँ क्योंकि सभी मेरे ग्रामीण है।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–4 सूर्य नारायण सिंह** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह केस मैंने दिनांक 17.07.2011 की घटना के कारण किया है। घटना समय करीब साढ़े नौ बजे सुबह की है। मैं उस समय अपने गॉव के ग्रामीण सड़क की मरम्मति करवा रहा था यानि कि मैं घटनास्थल पर था। हमलोगों के गॉव आने–जाने वाले रास्ते में गढ्ढा हो गया था जिसको अपने ग्रामीणों के सहयोग से हमलोग भरवा रहे थे, इसी बीच में 100–150 के करीब आदमी अचानक ईट, पत्थर, गोली, बंदूक लेकर आ गए और गोली चलाने लगे जिस कारण काफी भगदड़ हो गया और उसी भगदड़ में मुझे नाक, बांया हाथ की तलहती पर बंदूक का छर्रा लगा था और बॉया हाथ का अंगूठा जख्मी था, मेरा मोबाईल, पावर वाला चश्मा व सोने की चेन/सिकड़ी छीन लिया था, भगदड़ हो जाने के कारण मैं वहॉ से अपनी जान बचाकर भाग गया था। उसके बाद मैं कहलगॉव थाना गया और वहॉ से ईलाज कराने अनुमंडल अस्पताल, कहलगॉव भेजा गया जहॉ पर मेरा ईलाज हुआ, लेकिन वहॉ से मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया था लेकिन मेरा ईलाज नहीं हो पाया क्योंकि मैं हिरासत में चला गया। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे मुझे पढ़ कर नहीं सुनाया गया था। लिखित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–P-1/PW4 अंकित किया जाता है। भगदड़ हो जाने के कारण मैं किसी को देख नहीं पाया जिसने गोली व ईट–पत्थर चलाया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हूँ क्योंकि सभी मेरे ग्रामीण है।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–5 संत कुमार सिंह तथा साक्षी संख्या–6 श्याम कुमार सिंह** का परीक्षण कराया गया है, जिन्होने घटना का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन के द्वारा उक्त दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

13. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में तारतम्यता एवं बल है। एक–दूसरे के विरोधाभाषी नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी ऐसे तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिससे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सम्पूर्ण युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर दिया है। अतएव, अभियुक्तों को आरोपित अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाय।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता, ग्राहयता एवं कांड की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहे है कि वास्तविक तथ्य यह है कि सूचक अवैध रूप से अभियुक्तगण के जमीन पर कब्जा

करना चाह रहे थे और गॉव के गंदी राजनिती के तहत अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है।

15. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 आशीष कुमार सिंह अपने परीक्षण में कहा है कि मैं भगदड़ में किसी को देख नहीं पाया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि किस अभियुक्त ने ईटा, पत्थर तथा गोली बंदूक चलाया और सूर्य नारायण सिंह को किसके ईटा पत्थर से चोट लगी मैं नहीं देख पाया क्योंकि वहॉ भगदड़ मच गया था।

16. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–2 राजीव कुमार सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि किस अभियुक्त ने ईटा, पत्थर तथा गोली बंदूक चलाया और सूर्य नारायण सिंह को किसके ईटा पत्थर से चोट लगी मैं नहीं देख पाया क्योंकि वहॉ भगदड़ मच गया था।

17. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–3 बिनोद कुमार सिंह ने अपने परीक्षण में कहा है कि भगदड़ हो जाने के कारण मैं किसी को देख नहीं पाया जिसने गोली ईट–पत्थर चलाया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि किस अभियुक्त ने ईटा, पत्थर या गोली बंदूक चलाया और सूर्य नारायण सिंह को किसके ईटा पत्थर से चोट लगी मैं नहीं देख पाया क्योंकि वहॉ भगदड़ मच गया था।

18. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–4 सूर्य नारायण सिंह जो इस वाद के स्वयं सूचक है इन्होंने अपने परीक्षण में कहा है कि भगदड़ हो जाने के कारण मैं किसी को देख नहीं पाया जिसने गोली व ईट–पत्थर चलाया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता हूॅ क्योंकि सभी मेरे ग्रामीण है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि किस अभियुक्त ने ईटा, पत्थर या गोली बंदूक चलाया और मुझे किसके ईटा–पत्थर से चोट लगी मैं नहीं देख पाया क्योंकि वहॉ काफी भगदड़ मचा हुआ था। जिन भी व्यक्तियों को इस घटना में अभियुक्त बनाया गया है वे सभी इस घटना में शामिल नहीं थे। लिखित आवेदन को मैं पढ़ नहीं पाया और न ही मुझे पढ़ कर सुनाया गया था। पुलिस मेरा ब्यान ली थी लेकिन उसमें भी मैंने किसी अभियुक्त को पहचानने की बात नहीं कही थी। भगदड़ हो जाने के कारण और मेरा चश्मा गायब हो जाने के कारण मैंने सिकड़ी तथा मोबाईल छिनते किसी को नहीं देखा। आज न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दे रहा हूॅ तथा मेरे उपर किसी तरह का कोई दबाव या लोभ–लालच नहीं है।

19. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–5 संत कुमार सिंह तथा साक्षी संख्या–6 श्याम कुमार सिंह को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घ ोषित किया गया है।

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने घटना के अनुरूप संपुष्ट कारक साक्ष्य न देकर विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में ना तो तारतम्यता ही है और ना ही बल है। बल्कि एक दूसरे के विरोधभाषी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप भी साक्ष्य नहीं दिए है। साक्षी संख्या–1, 2, 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी संख्या–4 सूर्य नारायण सिंह जो स्वयं सूचक है इन्होंने ने भी अपने परीक्षण में कहा है कि भगदड़ हो जाने के कारण मैं किसी को देख नहीं पाया जिसने गोली व ईट–पत्थर चलाया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को

पहचानता हूॅ क्योंकि सभी मेरे ग्रामीण है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि किस अभियुक्त ने ईटा, पत्थर या गोली बंदूक चलाया और मुझे किसके ईटा–पत्थर से चोट लगी मैं नहीं देख पाया क्योंकि वहॉ काफी भगदड़ मचा हुआ था। जिन भी व्यक्तियों को इस घटना में अभियुक्त बनाया गया है वे सभी इस घटना में शामिल नहीं थे। लिखित आवेदन को मैं पढ़ नहीं पाया और न ही मुझे पढ़ कर सुनाया गया था। पुलिस मेरा ब्यान ली थी लेकिन उसमें भी मैंने किसी अभियुक्त को पहचानने की बात नहीं कही थी। भगदड़ हो जाने के कारण और मेरा चश्मा गायब हो जाने के कारण मैंने सिकड़ी तथा मोबाईल छिनते किसी को नहीं देखा। आज न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दे रहा हूॅ तथा मेरे उपर किसी तरह का कोई दबाव या लोभ–लालच नहीं है। सूचक के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि सूचक ने घटना का समर्थन नहीं किया है और विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। अभियोजन के द्वारा साक्षी संख्या–5 तथा 6 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराए गए सभी छह साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से विवेचनाधिकारी को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्व लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तों को आरोपित धारा से दोषमुक्त किया जाय।

21. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर यादव, रामवचन यादव तथा छट्टू यादव को धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह तथा बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव को धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठन किया गया है। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में कुल छह साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1, 2 तथा 3 ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या–4 जो स्वयं सूचक है इन्होंने ने भी प्राथमिकी से संबंधित संपुष्ट कारक साक्ष्य नहीं दिया है और इनके साक्ष्य में ना तो तारतम्यता है और ना ही बल है बल्कि विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। अभियोजन की ओर से विवेचनाधिकारी का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से जो भी साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराए है उनके भी साक्ष्य में तारसम्यता व बल नहीं है बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर यादव, रामवचन यादव तथा छट्टू यादव के विरूद्व लगाए गए धारा–147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह तथा बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव के विरूद्व लगाए गए धारा–147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे

सत्र वाद सं0– 667/2018+773/2018
कहलगॉव, शिवनारायणपुर थाना कांड
संख्या–**264**/2011
राज्य बनाम् पप्पू यादव व अठारह अन्य
निर्णय दिनांक–27.05.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

साबित नहीं कर सका है। अतएव अभियुक्त कमलेश्वर यादव, सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह, बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव, छट्टू यादव, रामवचन यादव को आरोपित धारा से दोषमुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अभियुक्त सिंकदर यादव, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर यादव, रामवचन यादव तथा छट्टू यादव को आरोपित धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त पप्पू यादव, पंकज यादव उर्फ पंकज कुमार, रंधीर यादव उर्फ अनमोल रतन, पिंटू कुमार उर्फ पिंटू यादव, हिरो यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, ओम प्रकाश यादव, कुंदन यादव, अनंत यादव, बूची यादव, मुकेश यादव, हरि मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मनमोहन सिंह तथा बैजु यादव उर्फ वैजनाथ यादव को आरोपित धारा 147, 148, 149, 341, 342, 307, 379 भा0द0वि0 तथा 27 आर्म्स एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण इस आशय का बन्ध पत्र दाखिल करेंगे कि यदि सूचक अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल करता है तो अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

निर्णय समाप्ति के पश्चात यह समीचीन प्रतीत होता है कि न्यायालय यह धारित करे कि मुकदमें में पीड़ित पक्ष कौन है ? सूचक ने इस वाद में प्राथमिकी से संबंधित संपुष्ट कारक साक्ष्य नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में पीड़ित का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर को प्रतीकर की राशि की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर को भेजे। तत्पश्चात्, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित
एवं हस्ताक्षरित कर आज उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर
दिनांक–27.05.2026

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर
दिनांक–27.05.2026

निर्णय की तिथि	27.05.2026
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	22.05.2026